खण्ड- 14 संख्या- 8

दशम् बिहार विधान-सभा

विधान-सभा वादवृत्त

भाग-1

कार्यवाही प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, तिथि 8 जुलाई, 1994 ई0

श्री विजय शंकर दूबे: कितना आंतरिक संसाधन चार वर्षों में जुटाये सीधा-सीधा बतायें?

श्री लालू प्रसाद: 1279 करोड़ हमको डिग्रेडेड फौरेस्ट से आना था, लेकिन भारत सरकार के रवैये के कारण रोक लग गया। कंसाइनमेंट टैक्स से आना था, रजिस्ट्रेशन से टैक्स मिलता, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, पहले कलकत्ता में यहाँ की जमीन रजिस्ट्री होती थी, लेकिन इस पर हमने रोक लगायी।

श्री शकील अहमद: अध्यक्ष महोदय, ये गलत जवाब दे रहे हैं। ये मिसलिड कर रहे हैं।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि फौरेस्ट के मामले में, कंसाइनमेंट टैक्स के मामले में नीति बनाई , उससे पैसा सरकार को मिलना था, लेकिन रोक लग गया, चाहे जिस कारण से भी रोक लगा हो।

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न सं०-28 के संबंध में चर्चा

श्री तुलसीदास मेहता: (1) अप्रैल, 1994 तक.....

(व्यवधान)

श्री युगेश्वर झा: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था है। इन्होंने कानून में खामी छोड़ी थी, ये जानबूझकर ऐसा कानून बनाते हैं जिसके कारण हाईकोर्ट से स्थगन हो जाता है और इनके खिलाफ में जाता है।

(व्यवधान)

श्रीमती वीणा शाही: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं सुनाई पड़ा। पुन: जवाब दिलवा दिया जाय।

ट्रांसफारमरों की मरम्मती

28. **श्रीमती वीणा शाही:** क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड का आठ हजार ट्रांसफार्मर पिछले दो वर्षों से खराब पड़ा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त खराब ट्रान्सफारमरों की मरम्मत के लिये उपाय करने का विचार रखती है?

(व्यवधान)

श्री तुलसीदास मेहता: खण्ड (1) अप्रैल 1994 तक पूरे राज्य में जले हुये क्षतिग्रस्त ट्रांसफर्मरों की संख्या 6893 अदा थी।

खण्ड (2) जले हुये क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मती के लिये पटना, मुजफ्फरपुर, गया, देवघर एवं रांची में विद्युत बोर्ड का अपना कर्मशाला है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से लाये जले हुये क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मती की जा रही है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या ने कहा है 8000 ट्रांसफार्मर जले हुये हैं। माननीय मंत्री ने कहा 6893 साथ ही उन्होंने कहा कि 4-5 जगह विद्युत् बोर्ड के कर्मशाला हैं, जहाँ क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की मरम्मती होती है।

श्रीमती वीणा शाही: अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने बतलाया, वह सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है । हमारे यहाँ जले हुये ट्रांसफार्मरों की संख्या या हमारे वैशाली जिला में ट्रांसफार्मरों की संख्या या कोई डाटा प्रस्तुत कर सकते हैं । कितने खराब हैं, और उनके बनाने के लिये कितना पैसा दिया जा रहा है, इसके संबंध में इनके पास कोई रिपोर्ट है। क्षेत्रवाइज या जिलावाइज कोई डाटा दे सकते हैं।

श्री तुलसीदास मेहता: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दिया।

अध्यक्ष: माननीय सदस्या का कहना है कि हमारे जिला में या हमारे क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं, इसका जवाब दें।

श्री तुलसीदास मेहता: इस सवाल में यह नहीं उठता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: गाड़ी आउट ऑफ सिगनल चली गयी। 35 मिनट का समय अल्सूचित में हो गया। माननीय मंत्री ने बतलाया कि 6893 ट्रासफार्मर खराब हैं जिनके बारे में वे कहते हैं, कि पटना, देवघर, मुजफ्फरपुर, रांची में इसकी मरम्मती होती है। आप इतना कर दीजिये कि इसके बनाने में चुस्ती लाई जाये। अभी मौसम ऐसा है, अभी ट्रांसफार्मर नहीं रहने से बहुत नुकसान पहुँचेगा।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, माननीय सदस्या वीणा जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में कितना खराब है। यह बात खुद प्रमाणित होता कि वह क्षेत्र में घूमती नहीं है, जिससे उनको इस बात की जानकारी नहीं है। जो ट्रांसफार्मर खराब है इसमें 75% पैसा देना पड़ता है, और चार जगह वर्कशाप है और पहले से शायद 10 करोड़ रुपया का ट्रांसफार्मर आता था, जिसको हम लोगों ने मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ जो खराब ट्रांसफार्मर हैं इसको ठीक कर के भेजिये। फिर भी माननीय नेता विरोधी दल और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सुखाड़ है, और वसूली के मामले में हमलोगों ने ढिलाई की और ट्रांसफार्मर दिलवा दिया, लेकिन ट्रांसफार्मर का पैसा लोग नहीं जमा करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः आपका वर्कशाप काम नहीं कर रहा है। 6900 ट्रांसफार्मर खराब है, और यह ट्रांसफार्मर ठीक होने वाला नहीं है।

श्री तुलसीदास मेहताः माननीय सदस्य जहाँ कहीं की भी सूचना देंगे कि ट्रांसफर्मर जला हुआ है, और 75 प्रतिशत जमा कर दिया गया है, वहाँ ट्रांसफार्मर जल्द ही लगा दिया जायेगा।

अध्यक्षः एक सवाल कितनी देर तक हाउस में चलेगा। इस पर 40 मिनट हो गया।

(इस अवसर पर श्री राजीव प्रताप सिंह एवं श्रीमती वीणा शाही सदन के वेल में चले आये)

आप मेरे क्षेत्र का मुकाबला मत कीजिये। हमारे यहाँ जलता है तो हम लोगों से पैसा दिवाते हैं। आप भी जहाँ जला हुआ है पैसा दिलवा दीजिये और हमको लिस्ट दीजिये कि फलां-फलां ट्रांसफार्मर जो जला हुआ था इसका पेमेन्ट हो गया, हम इसको करवा देंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपने कन्सटीचुएन्सी वाइज और जिला वाइज फीगर मांगा। आपकी कृपा से शायद कुछ हो जाय लेकिन सरकार की नीति किसान विरोधी है। सरकार ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रही हैं। इनका वर्कशाप काम नहीं कर रहा है, बिना पैसा के कोई ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता है, इसलिये इस प्रोटेस्ट में सदन का वाकआउट करते हैं।

(इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झाः अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल अपनी की हुई

गलती को ढकना चाहते हैं। इनका कानून बनाया हुआ है कि जो ट्रांसफार्मर जलेगा उसका 75 प्रतिशत जमा करेंगे, तब उसका रिप्लेसमेन्ट होगा। जहां-जहां जले हुए हैं 75 प्रतिशत पैसा जमा कर दें। सरकार उसे लगायेगी। हमारी सरकार किसान विरोधी नहीं है बल्कि किसान विरोध तो इनकी पार्टी है, जो देश में डंकल चला रही है।

(इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य पुनः सदन में वापस चले आये)

तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत् शुल्क

'क'-27. **श्री रणविजय शाही:** क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह सही है कि बिहार राज्य विद्युत् पर्षद् दामोदर वैली कारपोरेशन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से 77 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदता है, और उसे 1 रूपये 78 पैसे की दर से हाई टेन्शन लोड के उपभोक्ताओं को बेचता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उद्योगों को वर्तमान में सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित करने पर 2 रूपये 80 पैसे यूनिट की दर से विद्युत प्राप्त हो रही है, जो वर्ष 1991 में 1 रूपया यूनिट की दर से प्राप्त होती थी;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि बिहार राज्य विद्युत् पर्षद् द्वारा इतने अधिक दर से विद्युत शुल्क लेने पर भी घाटे में चलने का क्या कारण है?

श्री तुलसीदास मेहता: अध्यक्ष महोदय, खंड (1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिजली बोर्ड डी0 भी0 सी. से 122-135 पैसे एन0